दृष्टि
The Vision

एडिटोरियल

(संग्रह)

मई भाग-1
2021

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम **5**

- भारत में स्वच्छता प्रणाली की स्थिति 5
- COVID-19 संकट और केंद्र-राज्य संबंध 7

आर्थिक घटनाक्रम **9**

- भारत-ब्रिटेन संबंध 9
- डिजिटल वर्ल्ड में असमानताएँ 10

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम **13**

- भारत-जापान संबंध 13
- कोविड-19 और भारतीय विदेश नीति 15
- भारत-ब्रिटेन संबंध 16

नोट :

- अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी 18
- भारत-यूरोपीय संघ संबंध 19

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण **21**

- प्राकृतिक गैस : ऊर्जा संक्रमण का एक बेहतर विकल्प 21

सामाजिक न्याय **23**

- वन हेल्थ मॉडल 23
- Covid-19 और व्यवहार विज्ञान 24

दृष्टि The Vision

नोट :

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

भारत में स्वच्छता प्रणाली की स्थिति

कोविड-19 महामारी ने भारत की निराशाजनक स्वच्छता प्रणाली को उजागर किया है। ग्रामीण भारत में नवनिर्मित "शुष्क शौचालय" और "हैंगिंग शौचालय" 2020-21 के लॉकडाउन का ही परिणाम हैं।

मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोज़गार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 (Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act) के रूप में रोज़गार के निषेध और शुष्क शौचालयों पर सख्त प्रतिबंध के बावजूद केवल महामारी के दौरान ही लगभग 46,000 नए शुष्क शौचालय बनाए गए हैं।

इन अवैध शौचालयों के निर्माण का प्राथमिक कारण यह है कि सेनेटरी शौचालय बीमारी का सबब बन गए हैं।

कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण फिर से लगाए जा रहे लॉकडाउन ने भारत में स्वच्छता संघर्ष को इतना बढ़ा दिया है कि लोग सार्वजनिक शौचालयों के उपयोग से भी डर रहे हैं।

भारत में स्वच्छता प्रणाली का वर्तमान परिदृश्य

- राज्य-वार स्थिति: उत्तर प्रदेश में निर्माण स्थलों के पास मानव मल-मूत्र से भरे छोटे-छोटे गड्ढे भारत में एक बार फिर से खुले में शौच के पैटर्न में वृद्धि को उजागर करते हैं।
- पश्चिम बंगाल में, केंद्र में "छोटे छिद्र वाले आधार" के रूप में अधिक शौचालयों का निर्माण किया जाता है, जिन्हें हैंगिंग शौचालयों के रूप में जाना जाता है। इनका निर्माण उन परिवारों द्वारा किया जाता है जो सैनिटरी शौचालयों का उपयोग नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वे हमेशा मल मूत्र आदि से भरे होते हैं।
- दिल्ली में, गाजीपुर, भलस्वा और ओखला लैंडफिल का विस्तार आस-पास के समुदायों के लिये खुले में शौच हेतु एक बड़ा मैदान है।
- तमिलनाडु में, स्थानीय लोगों द्वारा दावा किया जाता है कि अप्रयुक्त शौचालय अक्सर जंगली जानवरों और सांपों का निवास बन जाते हैं, यही स्थिति गोवा में भी है।
- मध्य प्रदेश और राजस्थान के गाँवों में शौचालय निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किये जाने के कारण ये शौचालय लोगों की मौत का कारण बन रहे हैं।
- मिज़ोरम में, अनोखे "ट्री हाउस" शौचालयों का प्रचलन है जो हैंगिंग शौचालयों की तरह हैं, लेकिन इनकी ऊँचाई तीन गुना अधिक होती है।

ग्रामीण भारत में शौचालय: कोविड -19 के कारण ग्रामीण भारत में स्वच्छ शौचालयों के उपयोग में गिरावट आई है।

- वर्तमान में, ग्रामीण भारत में छह लाख से अधिक शौचालय ऐसे हैं जहाँ पानी की भारी कमी है।
- लगभग 1,20,000 शौचालयों में पानी की आपूर्ति नहीं है और हज़ारों शौचालय ऐसे हैं जिन्हें कमज़ोर छतों, टूटे हुए दरवाज़ों, पानी के खराब पाइपों आदि के कारण पूरी तरह से त्याग दिया गया है।

खुले में शौच: ग्रामीण भारत में यह भी देखा गया है कि जैसे ही शौचालय का उपयोग एक समस्या बन जाता है खुले में शौच करने की प्रवृत्ति में चार गुना बढ़ जाती है। खुले में शौच के अधिकांश स्थान कचरा स्थलों और स्थानीय जल निकायों के निकट होते है।

- इन कचरा स्थलों पर बड़ी संख्या में प्रयुक्त मास्क, पीपीई किट और अपशिष्ट भी होते हैं।
- इस महामारी ने भारत के स्वच्छता कर्मचारियों को मलमूत्र और संक्रमित COVID-19 गियर (उपकरण/औज़ार/कपड़े आदि) से भरे प्लास्टिक बैग को भी दूर के इलाकों में सामुदायिक शौचालयों आस-पास छोड़ने के लिये मज़बूर कर दिया है।

मैनुअल स्कैवेंजिंग: राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (National Commission of Safai Karamcharis- NCSK) के अनुसार, वर्ष 2013 और 2018 में किये गए सर्वेक्षणों के बाद यह पाया गया कि कुल 53,598 (अकेले उत्तर प्रदेश में 29,923) लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग में लगे हुए थे।

नोट :

- तमिलनाडु में मैनुअल स्कैवेंजिंग के कारण सबसे अधिक मौतें दर्ज की गईं।
- गुजरात में ऐसे मामले सबसे अधिक देखे गए जहाँ मैनुअल स्कैवेंजिंग के कारण हुई मौतों के लिये मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया था, इस क्रम में गुजरात के बाद महाराष्ट्र का स्थान था।

बायोमेडिकल अपशिष्ट का उत्पादन: नवंबर 2020 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने अप्रैल और नवंबर के बीच लगभग 33,000 टन कोविड -19 बायोमेडिकल अपशिष्ट उत्पन्न किया।

- महामारी से पहले, भारत में नियमित बायोमेडिकल कचरे का उत्पादन 610 मीट्रिक टन प्रति दिन था, लेकिन अब इसका उत्पादन 765.5 मीट्रिक टन प्रति दिन हो गया है।
- शीर्ष 10 अपशिष्ट उत्पादकों जिसमें उत्तर प्रदेश और दिल्ली भी शामिल हैं, में महाराष्ट्र ने बायोमेडिकल अपशिष्ट का सर्वाधिक उत्पादन किया।

लिंग आधारित स्वच्छता असुरक्षा: स्वच्छता सुविधाओं की कमी या अनुपलब्धता के बारे में महिलाओं को कुछ असुरक्षा जैसे कुछ विषम बोझों का सामना करना पड़ता है।

- शौचालय सुविधा की तलाश करते समय या खुले में शौच के लिये जाते समय महिलाएँ अपने जीवन के प्रति खतरे का सामना करती हैं और असुरक्षित महसूस करती हैं।
- परिणामस्वरूप शौचालय का उपयोग करने के लिये घर से बाहर निकलने की आवश्यकता को कम करने हेतु वे भोजन और पानी का उपभोग कम करती हैं।

उठाए जा सकने योग्य कदम:

- शौचालयों की स्थिति का पुनर्मूल्यांकन: ग्रामीण भारत यहाँ तक कि सेनेटरी शौचालयों में असिंचित जल स्रोतों पर निर्भरता भारत में शौचालय निर्माण की स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता को दर्शाती है।
  - रख-रखाव प्रणालियों की भी तुरंत जाँच किये जाने की आवश्यकता है जो 5 साल पहले निर्मित शौचालयों की स्थिति का पुन: सर्वेक्षण करके किया जा सकता है।
- स्वच्छता संबंधी श्रम में सुधार: हर एक कदम पर स्वच्छता व्यवहार और भारत में स्वच्छता संबंधी श्रम में सुधारों के आकलन के साथ-साथ स्वच्छता प्रणाली और पानी की व्यवस्था को एक साथ लाने की जरूरत है।
  - मैनुअल स्केवेंजिंग को पूरी तरह से समाप्त करने और मैला ढोने की प्रथा का प्रक्रियाबद्ध बनाने और इसके कारण होने वाली मौतों पर अंकुश लगाने के लिये मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोज़गार का निषेध और उनका पुनर्वास (संशोधन) विधेयक, 2020 को लागू किया जाना चाहिये।
- शुष्क शौचालय और हैंगिंग शौचालय का उन्मूलन: शुष्क शौचालय तथा हैंगिंग शौचालय दोनों का उपयोग अपने आस-पास के समुदायों को कोविड -19 से परे अन्य बीमारियों के उच्च जोखिम में डालता है। इसीलिये इनके निर्माण और उपयोग दोनों को समाप्त करने की आवश्यकता है।
- बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन: कोविड-19 कचरे को परिभाषित करना, विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट उत्पादकों की पहचान करना और पीपीई उपयोग से संबंधित जागरूकता के लिये बड़े पैमाने पर अभियान शुरू करना अनिवार्य हो गया है।
  - शहरी स्थानीय निकायों को अलग-अलग प्रकार के अपशिष्ट हेतु अलग-अलग कूड़ेदान उपलब्ध लाराने चाहिये और नागरिकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये ताकि कि वे स्रोत से अपशिष्ट के उत्पादन के समय ही उसे अलग-अलग कर सकें।
  - सरकार को उचित निगरानी रणनीतियों के साथ जैव चिकित्सा/बायोमेडिकल उपचार इकाइयों की क्षमता में भी वृद्धि करनी चाहिये और सभी हितधारकों जैसे डॉक्टर, नवोन्मेषक/इनोवेटर्स तथा चिकित्सा वस्तु एवं उपकरण निर्माताओं के साथ मिलकर अपशिष्ट के बोझ को कम करने की योजना बनानी चाहिये।
- व्यवहार परिवर्तन सुनिश्चित करना: सूचना, शिक्षा और संचार के माध्यम से विशेष रूप से महिलाओं के लिये शौचालय एवं अन्य स्वच्छता सुविधाओं के प्रति जनता के व्यवहार में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है।

नोट :

निष्कर्ष:

COVID-19 महामारी के समय में शौचालय की परंपराओं ने भारत की स्वच्छता प्रणाली में विद्यमान कुछ प्रमुख खामियों को उजागर किया है, जहाँ मौजूदा अवसंरचनाओं पर ध्यान दिए जाने के बजाय नई अवसंरचनाओं के निर्माण पर अधिक ज़ोर दिया जाता है।

सरकार को खुले में शौच की समस्या, मैनुअल स्कैवेंजिंग और महिलाओं के लिये शौचालय एवं स्वच्छता सुविधाओं की कमी से सख्ती से निपटना चाहिये।

COVID-19 संकट और केंद्र-राज्य संबंध

भारत में राज्यों और केंद्र के बीच संघीय संबंधों के इतिहास को सहकारी संघवाद, सौदेबाजी संघवाद या अर्द्ध-संघवाद जैसे शब्दों के माध्यम से संदर्भित किया जा सकता है।

हालाँकि अधिकतर समय में, भारतीय संघवाद सहयोगी के बजाय परस्पर विरोधी की भावना में रहा है, जिसे केंद्र सरकार के विपक्षी राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले राज्यों के प्रति अपने रवैये में भेदभावपूर्ण तरीके में प्रतिबिंबित किया जा सकता है।

हाल ही में वैक्सीन वितरण, ऑक्सीजन की आपूर्ति, जीवनरक्षक दवाओं की उपलब्धता को लेकर संघ और राज्यों के बीच के संघर्ष न केवल सहकारी संघवाद के विचार को अच्छी तरह से प्रभावित किया है, बल्कि देश में लोगों की मृत्यु का कारण भी बना है।

इसलिये कोविड-19 महामारी से लड़ने के अभूतपूर्व प्रयासों की आवश्यकता है जो प्रत्येक स्तर पर देश को इस संकट से बचाने के लिये सरकार का कर्तव्य है।

महामारी के दौरान संघीय मुद्दे

- असुविधाजनक संघवाद का मामला: केंद्र सरकार की वैक्सीन और ऑक्सीजन के उत्पादन तथा वितरण को विनियमित करने के लिये एकमात्र एजेंसी होने के नाते यह अनन्य ज़िम्मेदारी थी कि वह वैक्सीन और ऑक्सीजन का पर्याप्त एवं विवेकपूर्ण वितरण सुनिश्चित करे।
  - हालाँकि वैक्सीन के वितरण, दवाओं की आपूर्ति, ऑक्सीजन की उपलब्धता आदि के भेदभाव को लेकर कई राज्यों की शिकायतें हो रही हैं।
  - इसके अलावा नई टीकाकरण नीति, राज्यों पर ज़िम्मेदारी को टालने का प्रयास करती है क्योंकि यह राज्यों को वैक्सीन उत्पादकों से प्रत्यक्ष तौर पर वैक्सीन खरीदने के लिये उत्तरदायी बनाती है और अंतर-मूल्य निर्धारण की अनुमति देता है।
  - इससे न केवल उन राज्यों के वित्तीय बोझों में इजाफा होगा, जो पहले से ही वित्तीय बोझ के तले तबे हुए हैं, बल्कि यह विभिन्न राज्यों के बीच टकराव को भी जन्म दे सकता है।
- केंद्रीयकृत शक्तियाँ: केंद्र ने महामारी से निपटने के लिये शक्तियों को केंद्रीकृत करते हुए महामारी रोग अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया था।
  - हालाँकि, इन अधिनियमों के तहत राज्यों से परामर्श लेना, केंद्र के लिये एक विधायी अधिदेश है और केंद्र द्वारा राज्यों को बाध्यकारी COVID-19 दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे हैं।
- कोविड-19 का ग्रामीण भारत में प्रवेश: कोविड-19 की पहली लहर के दौरान अपने गृह राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार में प्रवासी श्रमिकों के सामूहिक पलायन को देखा गया।
  - अब, क्योंकि ये श्रमिकों को फिर से अपने गृह राज्यों में प्रवास करना पड़ा, इससे लोगों के बीच यह डर पैदा हो गया है कि कोविड-19 ग्रामीण भारत में प्रवेश कर रहा है।
  - इसके अलावा, कृषि, औद्योगिक और निर्माण गतिविधियाँ, इस कार्यबल की अनुपस्थिति में प्रभावित या कठिन होंगे क्योंकि ये श्रमिक अपने गृहनगर वापस जा रहे हैं।
  - यदि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने कोविड-19 की पहली लहर से सबक लिया होता, तो इस संकट के विनाशकारी प्रभाव को कम किया जा सकता था।

नोट :

आगे की राह:

- राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (FRBM) में ढील: राज्यों द्वारा बाज़ार उधार के संबंध में FRBM अधिनियम द्वारा लगाई गई सीमा की छूट, सही दिशा में एक कदम है।
  - हालाँकि इन उधारों को केंद्र सरकार द्वारा संप्रभु गारंटी देकर समर्थित किया जा सकता है।
  - इसके अलावा, केंद्र सरकार राज्यों को धन मुहैया करा सकती है ताकि वे राज्य स्तर पर संकट से निपटने के लिये आवश्यक कदम उठा सकें।
- रियल कोऑपरेटिव फेडरलिज़्म: इस संकट से निपटने के लिये केंद्र के एक सफल दृष्टिकोण, हस्तक्षेप और मार्गदर्शन की आवश्यकता है, जहाँ केंद्र सभी राज्यों में बड़े पैमाने पर सर्वोत्तम प्रथाओं का संचार करेगा, वित्तीय आवश्यकताओं की प्रभावी ढंग से पूर्ति करेगा और समाधान के लिये राष्ट्रीय विशेषज्ञता का लाभ उठाएगा।
- दीर्घकालिक उपाय: आपदाओं और आपात स्थितियों (प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों) के प्रबंधन को सातवीं अनुसूची की सूची-III (समवर्ती सूची) में शामिल किया जाना चाहिये।
  - साथ ही सरकार को अंतर-राज्य परिषद को स्थायी निकाय बनाने पर विचार करना चाहिये।

निष्कर्ष:

वर्तमान स्थिति से निपटने के लिये सरकार को सहकारी संघवाद के ढाँचे से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, जो मूल रूप से राष्ट्र और क्षेत्रों के विकास को प्राप्त करने में केंद्र तथा राज्यों की भागीदारी को बढ़ावा देने के कार्य पर आधारित है।

नोट :

आर्थिक घटनाक्रम

भारत-ब्रिटेन संबंध

संदर्भ

भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य मज़बूत ऐतिहासिक संबंधों के साथ-साथ आधुनिक कूटनीतिक संबंध भी मौजूद हैं। वर्ष 2004 में द्विपक्षीय संबंध में जो रणनीतिक साझेदारी विकसित हुई उसे क्रमिक सरकारों द्वारा और मज़बूत किया गया।

हाल ही में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के मध्य एक आभासी द्विपक्षीय बैठक का आयोजन किया गया है। यद्यपि बातचीत में स्वास्थ्य क्षेत्र आवश्यक रूप से मुख्य मुद्दा रहा, किंतु भारत और ब्रिटेन के प्रतिनिधियों द्वारा द्विपक्षीय रणनीतिक सहयोग से संबंधित विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की गई।

भारत और ब्रिटेन: दोनों को एक-दूसरे की आवश्यकता

- भारत का उदय: भारत एक ट्रांजीशन अथवा परिवर्तन के दौर से गुज़र रहा है, जिसका परिणाम ब्रिटेन के पक्ष में हो सकता है। भारत पहले से ही क्रय शक्ति समता विनिमय दरों (Purchasing Power Parity Exchange Rates) के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले दशकों में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है।
  - जैसे-जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बदल रही है, इसकी राजनीतिक, सैन्य और सांस्कृतिक शक्ति भी बढ़ रही है। इसी के साथ, भारत 21वीं सदी की महाशक्ति बनने की राह पर है।
  - जैसा कि 'जिम ओ नील' ने लिखा है, "भारत जल्द ही विश्व को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले देशों में से एक होगा।" ऐसे में भारत वैश्विक दौड़ में शामिल होने के लिये नए भागीदारों की तलाश कर रहा है। अत: ब्रिटेन के लिये यह एक अच्छा अवसर हो सकता है।
- ब्रिटेन का पुनरुत्थान: ब्रिटेन के पास शिक्षा, अनुसंधान, नागरिक समाज एवं रचनात्मक क्षेत्र में भारत को देने के लिये बहुत कुछ है।
  - भारत में अंग्रेज़ी बोलने वाले मध्यम वर्ग की जनसंख्या में भारी वृद्धि ब्रिटेन के लिये एक महत्त्वपूर्ण अवसर है। इससे पहले कि भारत की अगली पीढ़ी कहीं और अवसर तलाशे, ब्रिटेन व्यापार, कूटनीति, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में भारत के लिये अपने दरवाज़े खोल सकता है।

संबंधित चुनौतियाँ

हाल के वर्षों में अमेरिका और फ्राँस जैसे देशों के साथ भारत के संबंधों में नाटकीय रूप से सुधार हुआ है, जबकि ब्रिटेन के साथ संबंध खराब हुए हैं। इसके लिये निम्नलिखित कारणों को उत्तरदायी माना जा सकता है:

- औपनिवेशिक प्रिज़्म: इस असफलता का एक कारण औपनिवेशिक प्रिज़्म है, जिसने पारस्परिक धारणाओं को विकृत कर दिया है।
  - ब्रिटेन के खिलाफ उपनिवेशवाद विरोधी आक्रोश हमेशा भारतीय राजनीतिक और नौकरशाही वर्गों के बीच बना रहता है।
  - ब्रिटेन को भी भारत के बारे में अपने पूर्वाग्रहों से छुटकारा पाने में मुश्किलें होती हैं।
- विभाजन की विरासत: विभाजन की विरासत और पाकिस्तान के प्रति ब्रिटेन के कथित झुकाव के कारण भी भारत और ब्रिटेन के बीच अच्छे संबंध बनने में कठिनाई आती रही है।
  - इसके अलावा कई पूर्व भारतीय प्रधानमंत्रियों ने ब्रिटेन पर कश्मीर समस्या पैदा करने का भी आरोप लगाया है।
- लेबर पार्टी का हालिया रवैया: ब्रिटिश लेबर पार्टी की भारत के समस्याओं के प्रति बढ़ती राजनीतिक नकारात्मकता ने भी दोनों देशों के मध्य संबंधों को प्रभावित किया है। भारत के आंतरिक मामलों पर भी लेबर पार्टी का दृष्टिकोण नकारात्मक रहा है।

आगे की राह: नए अवसर

- महामारी का प्रबंधन: ब्रिटेन और G7, भारत की आंतरिक क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करने के साथ-साथ भविष्य में होने वाली वैश्विक महामारियों का प्रबंधन करने में काफी हद तक सक्षम हैं। भारत के लिये इन देशों से लाभांवित होने का एक अच्छा अवसर हो सकता है।

नोट :

- इन देशों के साथ मिलकर भारत में टीके के उत्पादन को बढ़ाने से लेकर एक मज़बूत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की संरचना विकसित करने भी अपर संभावनाएँ हैं।

- आर्थिक लाभ: दोनों देश अपने संबंधित क्षेत्रीय ब्लॉक से अलगाव का सामना कर रहे हैं। ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर हो गया है (ब्रेक्ज़िट) और भारत ने भी चीन-केंद्रित क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP) में शामिल होने से मना कर दिया है।
  - यद्यपि दोनों अपने क्षेत्रीय भागीदारों के साथ व्यापार करना जारी रखेंगे और साथ ही, दोनों ही देश नई वैश्विक आर्थिक भागीदारी बनाने के लिये प्रयासरत हैं।

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP)

- यह एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है, जिसमें आसियान (ASEAN) के दस सदस्य देश तथा पाँच अन्य देश (ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूज़ीलैंड) शामिल हैं।
- ध्यातव्य है कि यह समझौता इस लिहाज़ से भी काफी महत्त्वपूर्ण है कि इसमें विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल नहीं है।
- आसियान के दस सदस्य देशों के अलावा क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) में मुख्यत: वे देश शामिल हैं, जिन्होंने आसियान देशों के साथ पहले से ही मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर किये हैं।
- रणनीतिक लाभ: यूरोप में एक सुरक्षा सहयोगी के रूप में बने रहते हुए ब्रिटेन हिंद-प्रशांत क्षेत्र की तरफ झुक रहा है, जहाँ भारत एक स्वाभाविक सहयोगी हो सकता है।
  - वैश्विक स्तर पर चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत को क्षेत्रीय संतुलन बहाल करने के लिये व्यापक गठबंधन की आवश्यकता है।
- डोमिनो इफेक्ट: यदि दोनों देश अपनी द्विपक्षीय साझेदारी को और मज़बूत करते हैं एवं क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को विस्तृत करते हैं तो भारत और ब्रिटेन के लिये क्रमश: पाकिस्तान और दक्षिण-एशियाई प्रवासी राजनीति पर ब्रिटेन में होने वाली अनियमितताओं का प्रबंधन करना आसान हो सकता है।
  - भारत और ब्रिटेन, ब्रिटेन में भारतीयों के कानूनी प्रवासन को सुविधाजनक बनाने के लिये 'प्रवास और गतिशीलता' (Migration And Mobility) समझौता करने की दिशा में भी प्रयास कर रहे हैं।

निष्कर्ष

भारत एवं ब्रिटेन के बीच संस्कृति, इतिहास और भाषा के रूप में पहले से ही एक मज़बूत नींव उपलब्ध है, जिस पर दोनों देशों के संबंध और अधिक विकसित हो सकते हैं।

साथ ही, नई परिस्थितियों में भारत और ब्रिटेन को यह समझना चाहिये कि अपने बड़े और व्यापक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये दोनों को एक-दूसरे की आवश्यकता है।

डिजिटल वर्ल्ड में असमानताएँ

कोविड -19 महामारी ने आर्थिक असमानता बढ़ा दी है। इसका अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि अमीर और भी अमीर बन गए हैं तथा लाखों लोग नौकरी के नुकसान एवं आय के संकट का सामना कर रहे हैं।

महामारी के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में भारत में डिजिटल तकनीकों का त्वरित उपयोग हुआ है। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाएँ इस अभियान में सबसे आगे हैं।

यद्यपि ये डिजिटल पहलें महामारी के कारण होने वाले व्यवधान को कम करने में मदद कर रही हैं, लेकिन ये डिजिटल विभाजन का कारण बन रही हैं क्योंकि डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ शिक्षा और स्वास्थ्य के उन तरीकों को इस प्रकार पुनर्गठित करने का कार्य कर रही हैं जो पहले से ही असमान समाज में इनकी पहुँच को और अधिक असमान बनाते हैं।

नोट :

डिजिटल असमानताएँ:

डिजिटल प्रौद्योगिकियों और स्वचालित निर्णय लेने वाले उपकरणों ने असमानताओं को बढ़ा दिया है, विशेष रूप से लोगों को उन सेवाओं की प्राप्ति हेतु बाधा उत्पन्न करके जिसके वे हकदार हैं। यह सामाजिक अवसंरचना के मुख्य स्तंभों यानी शिक्षा और स्वास्थ्य में प्रमुखता से दिखाई दे सकता है।

- शिक्षा में डिजिटल असमानता: ऑनलाइन शिक्षा में निरंतर और एक समान शिक्षा के गुण निहित हैं लेकिन तथ्य यह है कि विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग इसमें आगे निकल जाता है। उनके आगे होने का कारण यह नहीं है कि वे अधिक बुद्धिमान हैं बल्कि विशेषाधिकारों के कारण वे इसका आनंद लेते हैं।
  - एनसीईआरटी, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, ASER और ऑक्सफैम द्वारा किये गए सर्वेक्षण का सुझाव है कि 27% से 60% लोग कई कारणों से जैसे उपकरणों की कमी, साझा किये गए डिवाइस, "डेटा पैक" खरीदने में असमर्थता आदि के कारण ऑनलाइन कक्षाओं तक नहीं पहुँच नहीं बना सके।
  - इसके अलावा, कई लोगों के पास घर में सीखने का माहौल नहीं होता है। जैसे पढ़ाई के लिये एक शांत जगह कई लोगों के लिये उपलब्ध नहीं है।
  - लड़कियों के लिये अतिरिक्त अपेक्षा यह होती है कि वे घर पर होने पर घरेलू कामों में योगदान देंगी।
  - ऑनलाइन शिक्षा के कारण कई छात्रों से अपने पीयर ग्रुप के साथ सीखने के अवसरों को छीन लिया गया है।
  - अवसर की समानता भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों में से एक है। एक ऐसी प्रणाली में शिफ्ट करना जो केवल लोगों के एक वर्ग को लाभ पहुँचाता है और ज़रूरतमंदों को पीछे छोड़ देता है, संवैधानिक लोकाचार का उल्लंघन है।
- स्वास्थ्य के क्षेत्र में डिजिटल असमानता: शिक्षा की तरह ही स्वास्थ्य देखभाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इसके अलावा, भारत में निजी स्वास्थ्य क्षेत्र में भी असमानता विद्यमान है। दोनों ने गरीबों की अच्छी स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में समस्या उत्पन्न की है।
  - आवश्यक वस्तुओं जैसे दवाईयाँ, अस्पताल बेड, ऑक्सीजन, टीके आदि की कमी है; रोगियों को जो भी अस्पताल अपेक्षित हैं, वो अत्यधिक महंगे हैं और दुर्लभ सेवाओं (जैसे ऑक्सीजन) के लिये एक काला बाज़ार विकसित हुआ है।
  - इन मुद्दों से निपटने के लिये एक ऐप विकसित करना विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के आवंटन के समाधान के रूप में देखा जा रहा है। हालाँकि, यह कई मुद्दों को जन्म देता है।
  - प्लेटफॉर्म और ऐप-आधारित समाधान गरीबों को पूरी तरह से सेवाओं से वंचित कर सकते हैं या आगे स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुँच को कम कर सकते हैं। जैसे स्लॉट बुक करना फोन, कंप्यूटर और इंटरनेट के बिना उन लोगों के लिये बहुत कठिन हों सकता है।
  - महामारी के दौरान डिजिटल स्वास्थ्य आईडी परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। हालाँकि, यह देखते हुए कि भारत में एक डेटा गोपनीयता कानून का अभाव है, अत्यधिक संभावना है कि हमारे स्वास्थ्य रिकॉर्ड हमारी सहमति के बिना निजी संस्थाओं के हाथों में चले जाएंगे और इसका उपयोग हमारे खिलाफ हथियार (उदाहरण के लिये , निजी बीमा कंपनियां इसका उपयोग गरीब लोगों को बीमा से इनकार करने के लिये कर सकती हैं) के रूप में किया जा सकता है।

आगे की राह

- शिक्षा के लिये एक बहु-प्रचारित दृष्टिकोण: छात्रों के एक बड़े वर्ग को शिक्षा प्रदान करने के लिये स्कूलों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ मिलकर शैक्षणिक समय सारिणी और विकल्पों की खोज करनी चाहिये।
  - उन कम सुविधा वाले छात्रों को प्राथमिकता देना जिनके पास ई-लर्निंग तक पहुँच नहीं है।
  - प्रत्येक बच्चे को मौलिक अधिकार के रूप में अच्छी गुणवत्ता वाली न्यायसंगत शिक्षा मिले यह सुनिश्चित करने के लिये वास्तविक प्रयासों में निवेश करना चाहिये।
- स्वास्थ्य के लिये एक बहु-प्रतीक्षित दृष्टिकोण: बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं (वार्ड स्टाफ, नर्स, डॉक्टर, प्रयोगशाला तकनीशियन, दवाइयाँ, बिस्तर, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर) पर स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि हुई है। फिर भी आरोग्य सेतु, आधार और डिजिटल स्वास्थ्य आईडी जैसे ऐप में थोड़ा और सुधार अपेक्षित है।

नोट :

- इसके अलावा, जब तक मेडिकल कदाचार के खिलाफ कानूनों को सख्ती से लागू नहीं किया जाता है, तब तक डिजिटल समाधान हमें वास्तविक समस्या से दूर करेंगे और विचलित करेंगे।
- इस प्रकार स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में प्रणालीगत सुधार करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

निश्चित रूप से, प्रौद्योगिकी एक उद्धारक के रूप में उभरी है, लेकिन सिक्के का दूसरा पक्ष यह भी है जो कभी-कभी संवेदनशील वर्ग हेतु असंगति उत्पन्न करता है। उम्मीद है महामारी हमें अधिक विवेकशील होकर डिजिटल तकनीकों को अपनाना सिखा पाएगी।

दृष्टि The Vision

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

भारत-जापान संबंध

हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा एवं अमेरिका के राष्ट्रपति के मध्य द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुई। दोनों देशों के नेताओं ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र के मुद्दे पर व्यापक चर्चा की।

इस बैठक की पृष्ठभूमि दक्षिण और पूर्वी-चीन सागर के साथ-साथ ताइवान स्ट्रेट के क्षेत्रीय विवादों में चीन के आक्रामक दृष्टिकोण को संबोधित करने की आवश्यकता है।

इसके अलावा क्वाड सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित होने के पश्चात् दोनों दलों ने क्वाड के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के चार देशों के समूह के लिये अपना निरंतर समर्थन व्यक्त किया।

ज्ञातव्य है कि कोविड-19 महामारी के दौरान यदि स्थिति सही रही तो जापानी प्रधानमंत्री भारत का दौरा करने की योजना बना रहे हैं। अमेरिका के साथ उनका व्यवहार इसका एक पूर्वावलोकन है कि भारत जापान से क्या उम्मीद रखता है।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र का रणनीतिक महत्त्व

- हिंद-प्रशांत क्षेत्र हाल के वर्षों में भू-राजनीतिक रूप से विश्व की विभिन्न शक्तियों के मध्य कूटनीतिक एवं संघर्ष का नया मंच बन चुका है।
- साथ ही यह क्षेत्र अपनी अवस्थिति के कारण और भी महत्त्वपूर्ण हो गया है।
- वर्तमान में विश्व व्यापार की 75 प्रतिशत वस्तुओं का आयात-निर्यात इसी क्षेत्र से होता है तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र से जुड़े हुए बंदरगाह विश्व के सर्वाधिक व्यस्त बंदरगाहों में शामिल हैं।
- वैश्विक GDP के 60 प्रतिशत का योगदान इसी क्षेत्र से होता है। यह क्षेत्र ऊर्जा व्यापार (पेट्रोलियम उत्पाद) को लेकर उपभोक्ता और उत्पादक दोनों राष्ट्रों के लिये संवेदनशील बना रहता है।
- विदित है कि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में कुल 38 देश शामिल हैं।
- जानकार मानते हैं कि इस क्षेत्र में उपभोक्ताओं को लाभ पहुँचाने वाले एवं क्षेत्रीय व्यापार एवं निवेश के अवसर पैदा करने हेतु सभी आवश्यक घटक मौजूद हैं।
- हाल की कुछ घटनाएँ इस क्षेत्र में ज़ोर पकड़ रही भू-आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा की तरफ संकेत देती हैं, जिसमें दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएँ, बढ़ता सैन्य खर्च और नौसैनिक क्षमताएँ, प्राकृतिक संसाधनों को लेकर गलाकाट प्रतिस्पर्द्धा शामिल है।
- इस प्रकार देखें तो वैश्विक सुरक्षा और नई विश्व व्यवस्था की कुंजी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के हाथ में ही है।
- इसके अंतर्गत एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र दक्षिण चीन सागर आता है। यहाँ आसियान के देश तथा चीन के मध्य लगातार विवाद चलता रहता है। दूसरा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है- मलक्का का जलडमरूमध्य। इंडोनेशिया के पास स्थित यह जलडमरूमध्य रणनीतिक तथा व्यापारिक दृष्टि से बेहद महत्त्वपूर्ण है।

अमेरिका-जापान वार्ता के मुख्य बिंदु:

- शिखर वार्ता में दोनों पक्षों ने अपनी संधि,जो पूर्वी-एशिया में लंबे समय तक स्थिरता का स्रोत रही, की पुष्टि की और विवादित सेनकाकू द्वीप और ताइवान जैसे प्रमुख क्षेत्रीय मुद्दों पर साथ खड़े होने का वादा किया।
- इसके अलावा संघर्ष की बदलती हुई प्रकृति को देखते हुए दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोग के माध्यम से इन क्षेत्रों में चीन की विस्तृत शक्तियों का मुकाबला करना स्वीकार किया है। 5G और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी नई प्रौद्योगिकियों के विकास पर हावी होने की चीनी महत्त्वाकांक्षाओं पर भी चर्चा हुई।
- नई उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में $1.4 ट्रिलियन का निवेश करने की चीन की हालिया घोषणा को देखते हुए दोनों पक्षों ने 'कंपेटिटिव एंड रीज़िलिंसस पार्टनरशिप (Competitiveness and Resilience Partnership- CoRe) की घोषणा करके इस अंतर को पाटने का संकल्प लिया।

नोट :

- दोनों पक्षों ने आर्थिक क्षेत्र में चीन की नीतियों, जैसे- बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, औद्योगिक सब्सिडी देकर व्यापार संतुलन को विकृत करना इत्यादि से मुकाबला करने के लिये ट्रंप-युग की नीतियों को ही जारी रखने का संकेत दिया है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद-प्रशांत क्षेत्र के अपने विज़न को भी दोहराया, जो विधि के शासन, नेविगेशन की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक मानदंडों और विवादों को निपटाने के लिये शांतिपूर्ण साधनों के प्रयोग का सम्मान करता है।

भारत जापान की आगामी वार्ता में संभावित बिंदु

भारत-जापान शिखर वार्ता

- चीन का प्रतिसंतुलन: वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं शिंजो आबे ने सुरक्षा के क्षेत्र में चीन के खिलाफ संतुलन की नीति की शुरुआत की थी। नए प्रधानमंत्री से इसे आगे बढ़ाने की उम्मीद की जा सकती है।
- फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ में सहयोग: शिंजो आबे के शासन काल के दौरान भारत और जापान ने डिजिटल अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में साझेदारी की थी। इसके तहत कृत्रिम बौद्धिकता (Artificial Intelligence), 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (Internet of Things- IoT) और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिये प्रौद्योगिकियों पर कार्य किया जाता रहा है।
- आर्थिक सहयोग: दोनों देशों के एजेंडे में आर्थिक संबंधों को मज़बूत करना और बुनियादी ढाँचा विकास में प्राथमिकता सूची में शीर्ष पर रहने की संभावना है।
  - जापान द्वारा 'मेक इन इंडिया' जैसी प्रमुख विनिर्माण पहल हेतु समर्थन की पुष्टि करने की संभावना है।
  - इसके अलावा भारत वर्तमान में पूर्वोत्तर एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण कनेक्टिविटी परियोजनाओं में बुनियादी ढाँचे के निवेश को निरंतर बनाए रखने की कोशिश में रहेगा।
- बहुपक्षवाद का विकास: दोनों देशों अपनी वार्ता में तीसरे महत्त्वपूर्ण देशों एवं बहुपक्षीय निकायों के लिये एक संयुक्त रणनीति विकसित करने पर ध्यान देंगे।
  - बीते कुछ वर्षों में नई दिल्ली और टोक्यो ने ईरान और अफ्रीका में बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिये सहयोग किया है। म्यांमार और श्रीलंका को महत्त्वपूर्ण सहायता प्रदान की है तथा दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिये दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों की नीति का समर्थन किया है।
- स्वतंत्र और मुक्त हिंद-प्रशांत क्षेत्र की कल्पना को बढ़ावा देना: भारत एवं जापान की आगामी कोई भी वार्ता सुरक्षा रणनीति के तहत क्वाड में साथ बढ़ने एवं एक स्वतंत्र और मुक्त हिंद-प्रशांत क्षेत्र हेतु समर्थन के बिना पूरी नहीं होगी।

क्वाड:

- चतुर्भुज सुरक्षा संवाद' (QUAD- Quadrilateral Security Dialogue) अर्थात् क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है।
- यह 'मुक्त, खुले और समृद्ध' भारत-प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने और उसके समर्थन के लिये इन देशों को एक साथ लाता है।
- क्वाड की अवधारणा औपचारिक रूप से सबसे पहले वर्ष 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंज़ो आबे द्वारा प्रस्तुत की गई थी, हालाँकि चीन के दबाव में ऑस्ट्रेलिया के पीछे हटने के कारण इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका।
- शिंज़ो आबे द्वारा वर्ष 2012 में हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका को शामिल करते हुए एक 'डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड' (Democratic Security Diamond) स्थापित करने का विचार प्रस्तुत किया गया।
- 'क्वाड' समूह की स्थापना नवंबर, 2017 में हिंद-प्रशांत क्षेत्र को किसी बाहरी शक्ति (विशेषकर चीन) के प्रभाव से मुक्त रखने हेतु नई रणनीति बनाने के लिये हुई।

आगे की राह

- डेटा स्थानीयकरण के मुद्दों को हल करना: भारत और जापान को डेटा स्थानीयकरण के मुद्दे पर भारत की असहमति एवं बुडापेस्ट कन्वेंशन जैसे वैश्विक साइबर सुरक्षा समझौतों के प्रति असहमति के बिंदुओं को हल करने का प्रयास करना चाहिये।

नोट :

- आर्थिक मोर्चे पर सुधार: हालाँकि जापान ने पिछले दो दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 34 बिलियन डॉलर का निवेश किया है; फिर भी जापान भारत का 12वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है एवं भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापार मूल्य के पाँचवें हिस्से के बराबर है। अत: दोनों पक्षों को आर्थिक मोर्चे पर सहयोग बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिये।

निष्कर्ष

शिंजो आबे ने अपनी पुस्तक "Utsukushii Kuni E" (टुवर्ड्स ए ब्यूटीफुल कंट्री) में आशा व्यक्त की है कि "यदि 10 वर्षों में जापान-भारत के संबंध जापान-यू.एस. एवं जापान-चीन संबंधों से आगे बढ़ जाए तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी।"

अत: 'न्यू इंडिया' के पास यह मानने की पर्याप्त वजह है कि जापान और भारत दोनों मिलकर विकास के बेहतर परिणामों के लिये प्रयासरत रहेंगे।

कोविड-19 और भारतीय विदेश नीति

संदर्भ

कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर और इसके आक्रामक परिणामों के कारण भारत को 17 वर्षों के अंतराल के बाद पहली बार विदेशी सहायता स्वीकार करनी पड़ रही है। भारत के लिये इसके दूरगामी रणनीतिक निहितार्थ हो सकते हैं।

भारत पर महामारी के भीषण परिणामों के कारण देश की क्षेत्रीय प्रधानता और नेतृत्त्व क्षमता पर प्रश्नचिह्न खड़े होते हैं। नतीजतन आने वाले वर्षों में भारत की विदेश नीति के स्वरूप पर भी प्रभाव पड़ेगा।

भारत की विदेश नीति पर कोविड-19 के संभावित प्रभाव

- क्षेत्रीय राजनीति: दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत का नेतृत्त्व मुख्यत: तीन बातों पर निर्भर करता हैं- सहायता हेतु प्रदान की जाने वाली वस्तु एवं सेवाएँ, राजनीतिक प्रभुत्त्व एवं ऐतिहासिक संबंध।
  - कोविड-19 के कारण पड़ोसी देशों को भौतिक रूप से प्रदत्त सहायता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और साथ ही इससे राजनीतिक प्रभुत्त्व को भी चुनौती मिलेगी। ऐसे में केवल ऐतिहासिक संबंधों के कारण भारत का क्षेत्रीय आधिपत्य बरकरार नहीं रह सकता है।
- भारत के रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण स्थानों में चीन की घुसपैठ: चीन अपनी 'चेकबुक कूटनीति' के कारण पहले से ही भारत को अपने महत्त्वपूर्ण रणनीतिक स्थान यानी भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर भी चुनौती दे रहा है।
  - कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने इस प्रक्रिया को और तेज़ कर दिया है। इस महामारी के कारण भौतिक शक्ति, शक्ति के संतुलन और राजनीतिक इच्छाशक्ति तीनों के संदर्भ में भारत, चीन का मुकाबला कर पाने में फिलहाल अक्षम नज़र आ रहा है।
- 'क्वाड' में भारत की स्थिति पर प्रभाव: कोविड-19 के कारण भारत की किसी भी महत्त्वाकांक्षी सैन्य खर्च या आधुनिकीकरण संबंधी योजना पर रोक लग सकती है तथा देश का ध्यान वैश्विक कूटनीति और क्षेत्रीय भू-राजनीति के स्थान पर अंदरूनी समस्याओं पर केंद्रित होगा।
  - सैन्य खर्चों में कमी और क्षेत्रीय भू-राजनीति पर कम ध्यान देने के कारण 'क्वाड' को मज़बूत बनाने में योगदान करने की भारत क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा।
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में कूटनीति पर प्रभाव: भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण देश है, किंतु कोविड-19 के कारण महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने में असमर्थता और क्षेत्र में छोटे राष्ट्रों को लुभाने में चीन की रणनीति से अंतत: शक्ति संतुलन चीन के पक्ष में जा सकता है।
- अर्थशास्त्र से प्रभावित भू-राजनीति: कोविड-19 महामारी के कारण एक आर्थिक संकट के साथ-साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कमी आई है और औद्योगिक उत्पादन में गिरावट तथा बेरोज़गारी में वृद्धि दर्ज की गई है, जिसने भारत की रणनीतिक महत्त्वाकांक्षाओं को भी सीमित किया है।
- अमेरिका-चीन संबंध: हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभुत्त्व और भारत में कोविड-19 से संबंधित परेशानियों तथा संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अमेरिका, चीन के साथ अपने आर्थिक संबंधों को सामान्य बनाने का प्रयास कर सकता है।
- भारत-चीन संबंध: कोविड-19 की दूसरी लहर से होने वाले नुकसान का अन्य संभावित परिणाम यह हो सकता है कि भारत, चीन के साथ उसके शर्तों पर संधि करने के लिये मज़बूर हो जाए।
- भारत-अमेरिका संबंध: कोविड-19 के कारण भारत के लिये अमेरिका के साथ घनिष्ठ सैन्य संबंधों का विरोध करना कठिन हो सकता है।

नोट :

आगे की राह: नए अवसर

- SAARC को पुन: मजबूत करना: कोविड-19 विशेष रूप से SAARC देशों के मध्य सहयोग के नए अवसरों को खोलेगा, ज्ञात हो कि महामारी की पहली लहर के दौरान इस संबंध में कुछ महत्त्वपूर्ण प्रयास भी किये गए थे।
- क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना: भारत इस समय स्वास्थ्य की आपातकालीन स्थिति में आपसी सहायता और संयुक्त कार्रवाई को बढ़ावा देकर 'क्षेत्रीय स्वास्थ्य बहुपक्षवाद' पर पूरे क्षेत्र का सामूहिक ध्यान केंद्रित कर सकता है।
  - दक्षिण-एशिया में हमेशा से चलती आ रही भू-राजनीति के साथ स्वास्थ्य कूटनीति, पर्यावरण संबंधी चिंताओं और क्षेत्रीय संपर्क जैसे मुद्दों को भी लाया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

चूँकि कोविड-19 महामारी ने भारत की मौजूदा विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये आवश्यक राजनयिक क्षमता को सीमित कर दिया है, इसलिये आगामी समय में भारत की विदेश नीति में काफी अधिक बदलाव आने की संभावना है। हालाँकि कोविड-19 ने संभवत: दुनिया के सबसे कम एकीकृत क्षेत्र, दक्षिण-एशिया, के लिये कुछ नए अवसर प्रदान किये है।

भारत-ब्रिटेन संबंध

संदर्भ

भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य मज़बूत ऐतिहासिक संबंधों के साथ-साथ आधुनिक कूटनीतिक संबंध भी मौजूद हैं। वर्ष 2004 में द्विपक्षीय संबंध में जो रणनीतिक साझेदारी विकसित हुई उसे क्रमिक सरकारों द्वारा और मज़बूत किया गया।

हाल ही में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के मध्य एक आभासी द्विपक्षीय बैठक का आयोजन किया गया है। यद्यपि बातचीत में स्वास्थ्य क्षेत्र आवश्यक रूप से मुख्य मुद्दा रहा, किंतु भारत और ब्रिटेन के प्रतिनिधियों द्वारा द्विपक्षीय रणनीतिक सहयोग से संबंधित विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की गई।

भारत और ब्रिटेन: दोनों को एक-दूसरे की आवश्यकता

- भारत का उदय: भारत एक ट्रांजीशन अथवा परिवर्तन के दौर से गुज़र रहा है, जिसका परिणाम ब्रिटेन के पक्ष में हो सकता है। भारत पहले से ही क्रय शक्ति समता विनिमय दरों (Purchasing Power Parity Exchange Rates) के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले दशकों में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है।
  - जैसे-जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बदल रही है, इसकी राजनीतिक, सैन्य और सांस्कृतिक शक्ति भी बढ़ रही है। इसी के साथ, भारत 21वीं सदी की महाशक्ति बनने की राह पर है।
  - जैसा कि 'जिम ओ नील' ने लिखा है, "भारत जल्द ही विश्व को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले देशों में से एक होगा।" ऐसे में भारत वैश्विक दौड़ में शामिल होने के लिये नए भागीदारों की तलाश कर रहा है। अत: ब्रिटेन के लिये यह एक अच्छा अवसर हो सकता है।
- ब्रिटेन का पुनरुत्थान: ब्रिटेन के पास शिक्षा, अनुसंधान, नागरिक समाज एवं रचनात्मक क्षेत्र में भारत को देने के लिये बहुत कुछ है।
  - भारत में अंग्रेज़ी बोलने वाले मध्यम वर्ग की जनसंख्या में भारी वृद्धि ब्रिटेन के लिये एक महत्त्वपूर्ण अवसर है। इससे पहले कि भारत की अगली पीढ़ी कहीं और अवसर तलाशे, ब्रिटेन व्यापार, कूटनीति, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में भारत के लिये अपने दरवाज़े खोल सकता है।

संबंधित चुनौतियाँ

हाल के वर्षों में अमेरिका और फ्राँस जैसे देशों के साथ भारत के संबंधों में नाटकीय रूप से सुधार हुआ है, जबकि ब्रिटेन के साथ संबंध खराब हुए हैं। इसके लिये निम्नलिखित कारणों को उत्तरदायी माना जा सकता है:

- औपनिवेशिक प्रिज़्म: इस असफलता का एक कारण औपनिवेशिक प्रिज़्म है, जिसने पारस्परिक धारणाओं को विकृत कर दिया है।
  - ब्रिटेन के खिलाफ उपनिवेशवाद विरोधी आक्रोश हमेशा भारतीय राजनीतिक और नौकरशाही वर्गों के बीच बना रहता है।
  - ब्रिटेन को भी भारत के बारे में अपने पूर्वाग्रहों से छुटकारा पाने में मुश्किलें होती हैं।

नोट :

- विभाजन की विरासत: विभाजन की विरासत और पाकिस्तान के प्रति ब्रिटेन के कथित झुकाव के कारण भी भारत और ब्रिटेन के बीच अच्छे संबंध बनने में कठिनाई आती रही है।
  - इसके अलावा कई पूर्व भारतीय प्रधानमंत्रियों ने ब्रिटेन पर कश्मीर समस्या पैदा करने का भी आरोप लगाया है।
- लेबर पार्टी का हालिया रवैया: ब्रिटिश लेबर पार्टी की भारत के समस्याओं के प्रति बढ़ती राजनीतिक नकारात्मकता ने भी दोनों देशों के मध्य संबंधों को प्रभावित किया है। भारत के आंतरिक मामलों पर भी लेबर पार्टी का दृष्टिकोण नकारात्मक रहा है।

आगे की राह: नए अवसर

- महामारी का प्रबंधन: ब्रिटेन और G7, भारत की आंतरिक क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करने के साथ-साथ भविष्य में होने वाली वैश्विक महामारियों का प्रबंधन करने में काफी हद तक सक्षम हैं। भारत के लिये इन देशों से लाभांवित होने का एक अच्छा अवसर हो सकता है।
  - इन देशों के साथ मिलकर भारत में टीके के उत्पादन को बढ़ाने से लेकर एक मज़बूत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की संरचना विकसित करने भी अपर संभावनाएँ हैं।
- आर्थिक लाभ: दोनों देश अपने संबंधित क्षेत्रीय ब्लॉक से अलगाव का सामना कर रहे हैं। ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर हो गया है (ब्रेक्ज़िट) और भारत ने भी चीन-केंद्रित क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP) में शामिल होने से मना कर दिया है।
  - यद्यपि दोनों अपने क्षेत्रीय भागीदारों के साथ व्यापार करना जारी रखेंगे और साथ ही, दोनों ही देश नई वैश्विक आर्थिक भागीदारी बनाने के लिये प्रयासरत हैं।

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP)

- यह एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है, जिसमें आसियान (ASEAN) के दस सदस्य देश तथा पाँच अन्य देश (ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूज़ीलैंड) शामिल हैं।
- ध्यातव्य है कि यह समझौता इस लिहाज़ से भी काफी महत्त्वपूर्ण है कि इसमें विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल नहीं है।
- आसियान के दस सदस्य देशों के अलावा क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) में मुख्यत: वे देश शामिल हैं, जिन्होंने आसियान देशों के साथ पहले से ही मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर किये हैं।
- रणनीतिक लाभ: यूरोप में एक सुरक्षा सहयोगी के रूप में बने रहते हुए ब्रिटेन हिंद-प्रशांत क्षेत्र की तरफ झुक रहा है, जहाँ भारत एक स्वाभाविक सहयोगी हो सकता है।
  - वैश्विक स्तर पर चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत को क्षेत्रीय संतुलन बहाल करने के लिये व्यापक गठबंधन की आवश्यकता है।
- डोमिनो इफेक्ट: यदि दोनों देश अपनी द्विपक्षीय साझेदारी को और मज़बूत करते हैं एवं क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को विस्तृत करते हैं तो भारत और ब्रिटेन के लिये क्रमश: पाकिस्तान और दक्षिण-एशियाई प्रवासी राजनीति पर ब्रिटेन में होने वाली अनियमितताओं का प्रबंधन करना आसान हो सकता है।
  - भारत और ब्रिटेन, ब्रिटेन में भारतीयों के कानूनी प्रवासन को सुविधाजनक बनाने के लिये 'प्रवास और गतिशीलता' (Migration And Mobility) समझौता करने की दिशा में भी प्रयास कर रहे हैं।

निष्कर्ष

भारत एवं ब्रिटेन के बीच संस्कृति, इतिहास और भाषा के रूप में पहले से ही एक मज़बूत नींव उपलब्ध है, जिस पर दोनों देशों के संबंध और अधिक विकसित हो सकते हैं।

साथ ही, नई परिस्थितियों में भारत और ब्रिटेन को यह समझना चाहिये कि अपने बड़े और व्यापक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये दोनों को एक-दूसरे की आवश्यकता है।

नोट :

अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी

चूँकि अमेरिका ने प्रमुख बाह्य शक्ति के रूप में ब्रिटेन को प्रतिस्थापित किया, इसलिये अमेरिका वह धुरी रहा है जिसके चारों ओर वैश्विक और क्षेत्रीय राजनीति संचालित होती है। इसी के चलते कई क्षेत्रीय शक्तियों ने महत्त्वाकांक्षी या आक्रामक पड़ोसियों से अपनी सुरक्षा के लिये अमेरिका के साथ गठबंधन की मांग की।

मध्य-पूर्वी क्षेत्र में इज़रायल की सुरक्षा, तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करना, अन्य शक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय शांति, लोकतंत्र को बढ़ावा देना और आतंकवाद पर मुहर लगाना ऐसे कारक थे जिन्होंने इस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य व उसके राजनीतिक और कूटनीतिक निवेश की मांग की थी।

अब अमेरिका मध्य-पूर्व से भारत-प्रशांत क्षेत्र में अपनी प्राथमिकताओं को स्थानांतरित कर रहा है, इसी के चलते उसने अफगानिस्तान से बाहर निकलने की मांग की है। जैसा कि अंतिम अमेरिकी सैनिकों ने अफगानिस्तान छोड़ना शुरू कर दिया है, जिसका इस संपूर्ण क्षेत्र और उससे आगे प्रभाव पड़ सकता है।

अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के हटने के कारण

- अंतिम एवं अंतहीन युद्ध: मध्य-पूर्व में महंगे और लंबे समय तक सैन्य हस्तक्षेप के बाद, अमेरिका ने यह महसूस किया कि वह इस क्षेत्र में सदियों पुराने संघर्षों का समाधान नहीं कर सकता है।
  - मध्य -पूर्व क्षेत्र में अमेरिका के "अंतहीन युद्धों" को समाप्त करने का वादा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की पूर्व नीति के केंद्रीय विषयों में से एक था।
  - नए अमेरिकी राष्ट्रपति इस मोर्चे पर सिर्फ नीतिगत रुख बनाए हुए हैं।
- मध्य पूर्व से हिंद-प्रशांत की ओर प्राथमिकताओं में परिवर्तन: अमेरिका अब चीन को संशोधनवादी शक्ति के रूप में देखता है, जो दुनिया भर में अमेरिका के आधिपत्य को चुनौती देता है।
  - इस प्रकार, अमेरिका चीन से प्राप्त हों रही कठोर चुनौतियों के चलते अपने सैन्य, राजनीतिक और कूटनीतिक संसाधनों को मध्य पूर्व से भारत-प्रशांत में स्थानांतरित करना चाहता है।

मध्य पूर्व क्षेत्र के निहितार्थ

जैसा कि अमेरिका मध्य-पूर्व से वापस कदम पीछे खींच रहा है, पुन: ज़्यादातर क्षेत्रीय शक्तियों को या तो वैकल्पिक संरक्षक की आवश्यकता होगी या अपने पड़ोसियों के साथ तनाव कम करना होगा । इस प्रकार, पड़ोसियों के साथ रहना सीखना अब एक ज़रूरी प्राथमिकता बन सकती है। इस प्रयास में निम्नलिखित घटनाएँ होने की संभावना है:

- तुर्की का सामान्यीकरण: तुर्की महसूस कर सकता है कि उसकी परेशान अर्थव्यवस्था महत्त्वाकांक्षी क्षेत्रीय नीतियों को बनाए नहीं रख सकती है। इस्लामी दुनिया में वर्षों से चुनौती दे रहे सऊदी नेतृत्त्व देखते हुए तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के साथ अपने संबंधों को सामान्य कर सकता है।
- सऊदी-ईरान संघर्ष का सामान्यीकरण: वर्षों की गहन शत्रुता के बाद, सऊदी अरब और ईरान अब द्विपक्षीय तनाव को कम करने और इस क्षेत्र में अपने प्रॉक्सी युद्धों को कम करने के साधन तलाश सकते हैं।
  - सऊदी अरब भी कतर को अलग करने के पहले के प्रयास को समाप्त करके खाड़ी देशों के भीतर पड़ी दरार को ठीक करने की कोशिश कर रहा है।
- अब्राहम समझौते: इसके द्वारा पिछले वर्ष कुछ अरब राज्यों - यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान द्वारा इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने का प्रयास किया गया है।

भारत के निहितार्थ

- तालिबान की वापसी: अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान की वापसी से पूरे क्षेत्र में हिंसक धार्मिक उग्रवाद को बढ़ावा मिलेगा और भारत तथा अन्य पड़ोसी देशों को इन्हीं दुष्परिणामों के साथ रहना होगा।
  - क्षेत्र में तालिबान और अन्य चरमपंथी ताकतों के बीच सीमा-पार संबंधों की संभावना भी एक चुनौती है।

नोट :

- अमेरिकी सैनिकों की वापसी से लश्कर-ए-तैयबा या जैश-ए-मोहम्मद जैसे विभिन्न भारत विरोधी आतंकवादी संगठनों को शरण देने वाली जमीन तैयार हो सकती है।

- अफगानिस्तान में भारत की भूमिका को कम आँकना: अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी भारतीय उपमहाद्वीप के लिये बड़ी चुनौती है।
  - अमेरिकी सैन्य उपस्थिति ने भारत के लिये चरमपंथी ताकतों पर नियंत्रण रखा था और अफगानिस्तान भारतीय भूमिका के लिये अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण किया था।
  - जैसा कि अफगानिस्तान मध्य एशिया का प्रवेश द्वार है, अमेरिकी एग्ज़िट मध्य एशिया में भारत की रुचि को कम कर सकता है।
- भारत-तुर्की संबंधों को सामान्य बनाना: भारत मध्य-पूर्व में अधिकांश क्षेत्रीय शक्तियों के साथ अपने संबंधों का विस्तार करने में सफल रहा है। हालांकि, तुर्की ने एर्दोगन के तहत भारत से दुश्मनी स्थापित कर ली है।
  - उम्मीद है कि नए क्षेत्रीय मंथन से तुर्की को भारत के साथ अपने संबंधों पर नए सिरे से विचार करने की प्रेरणा मिलेगी।

निष्कर्ष

- अफगानिस्तान से अमेरिका के बाहर निकलने से इस क्षेत्र में भू-राजनीतिक परिवर्तन बढ़ेगा। चूँकि ये कारक भारत हेतु इस क्षेत्र में एक कठिन भू-राजनीतिक स्थिति उत्पन्न करेंगे अत: भारत को इस क्षेत्र हेतु एक कुशल कूटनीति की आवश्यकता है ताकि वह अफगानिस्तान में बदलती गतिशीलता से निपट सके।

भारत-यूरोपीय संघ संबंध

हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री और यूरोपीय संघ के 27 नेताओं के बीच एक वर्चुअल वार्ता आयोजित की गई। बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों के कारण भारत के प्रति यूरोप के दृष्टिकोण में बदलाव आ रहा है जो कि इस वर्चुअल वार्ता में परिलक्षित हुआ।

इसके अलावा वर्ष 2018 में यूरोपीय संघ ने भारत के साथ सहयोग के लिये एक नई रणनीति जारी की जिसे बहुध्रुवीय एशिया में एक भू-राजनीतिक स्तंभ कहा गया जो कि इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

भारतीय दृष्टिकोण से यूरोपीय संघ के साथ सहयोग शांति को बढ़ावा दे सकता है, रोज़गार सृजित कर सकता है, रोज़गार उन्मुख आर्थिक विकास और सतत् विकास को बढ़ावा दे सकता है। इसलिये यूरोपीय संघ और भारत स्वाभाविक भागीदार प्रतीत होते हैं तथा उन्हें मौजूदा अवसरों का लाभ उठाने की आवश्यकता है।

वर्चुअल शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएँ

- FTA वार्ता की बहाली: शिखर सम्मेलन का सबसे महत्त्वपूर्ण परिणाम यह रहा कि आठ वर्षों के बाद भारत और यूरोपीय संघ ने पुन: एक व्यापक व्यापार समझौते के लिये बातचीत शुरू करने का फैसला किया है।
  - इन वार्ताओं को वर्ष 2013 में निलंबित कर दिया गया था क्योंकि दोनों पक्ष टैरिफ में कटौती, पेटेंट संरक्षण, डेटा सुरक्षा और भारतीय पेशेवरों के यूरोप में काम करने के अधिकार जैसे कुछ प्रमुख मुद्दों पर अपने मतभेदों को दूर करने में विफल रहे थे।
- BIT वार्ता की बहाली: दोनों पक्ष एक स्टैंडअलोन निवेश संरक्षण समझौते और भौगोलिक संकेतों पर समझौते के लिये बातचीत शुरू करने पर भी सहमत हुए हैं।
- कनेक्टिविटी पार्टनरशिप: वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भारत और यूरोपीय संघ ने डिजिटल, ऊर्जा, परिवहन और लोगों से लोगों के बीच एक महत्त्वाकांक्षी "कनेक्टिविटी साझेदारी" शुरू की, जिससे दोनों अफ्रीका, मध्य एशिया से लेकर हिंद-प्रशांत तक फैले क्षेत्रों में स्थायी संयुक्त परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे।

यूरोपीय संघ और भारत : स्वाभाविक भागीदार

- यूरोपीय संघ को चीन से दूरी बनाने की आवश्यकता: यूरोपीय संघ ने हाल ही में चीन के साथ निवेश को लेकर एक व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर किये जिसे राजनयिक तनाव के कारण अब निलंबित कर दिया गया है।
  - झिंजियांग क्षेत्र में उइगर मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सहायता के लिये यूरोपीय संघ द्वारा चीन के खिलाफ प्रतिबंध लगाया गया जिसके जवाब में चीन द्वारा EU के कुछ सदस्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके चलते यूरोपीय संसद इस सौदे का भारी विरोध कर रही है।

नोट :

- आर्थिक तर्क: यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है जिससे मज़बूत भारत-यूरोपीय संघ के आर्थिक संबंधों का तर्क स्वयं स्पष्ट हो जाता है।
  - इसके अलावा, भारत घरेलू विनिर्माण आधार विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने के क्रम में खुले व्यापार के लिये अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना चाहता है।
- वैश्विक स्वास्थ्य में सहयोग: वर्तमान स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य सहयोग ने एक नया महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है।
  - यूरोपीय संघ के सदस्य-राज्यों ने पिछले कुछ हफ्तों में महत्त्वपूर्ण चिकित्सा आपूर्ति भेजकर भारत का समर्थन करने की पहल की है, जो भारत द्वारा पिछले वर्ष दूसरे देशों के लिये किया जा रहा था।
  - चूँकि दोनों पक्ष वैश्विक स्वास्थ्य पर एक साथ काम करने के लिये प्रतिबद्ध हैं अत: लचीली चिकित्सा आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करने अधिक आवश्यकता है।
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समन्वय: यूरोपीय संघ को अपनी विदेश नीति की अनिवार्यता के भू-राजनीतिक निहितार्थों के लिये मजबूर किया जा रहा है और भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समन्वय स्थापित करने के लिये समान विचारधारा वाले देशों के साथ महत्त्वपूर्ण साझेदारी की तलाश कर रहा है।
  - इसके अलावा, भारत अमेरिका और चीन के बीच द्विध्रुवी भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से परे देख रहा है और एक बहुध्रुवीय विश्व की स्थापना की दिशा में काम कर रहा है।
- जलवायु परिवर्तन का मुकाबला: भारत वर्ष 2050 तक अपने कार्बन-उत्सर्जन को तटस्थ बनाने के लिये यूरोपीय संघ की ग्रीन डील नामक एक नई औद्योगिक रणनीति को अपना सकता है।
- यूरोपीय संघ और भारत स्वच्छ ऊर्जा में निवेश करके खुद को वर्ष 2050 तक कार्बन-तटस्थ अर्थव्यवस्थाओं में बदलने का प्रयास कर सकते हैं।
- भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के भारत के प्रयासों में यूरोप का निवेश और प्रौद्योगिकी सर्वोपरि है।

आगे की राह

- भू-आर्थिक सहयोग: भारत सुरक्षा की दृष्टि से नहीं तो भू-आर्थिक रूप से, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में संलग्न होने के लिये यूरोपीय संघ के देशों को लक्षित कर सकता है।
  - यह क्षेत्रीय बुनियादी ढाँचे के सतत् विकास के लिये बड़े पैमाने पर आर्थिक संसाधन जुटा सकता है, राजनीतिक प्रभाव को नियंत्रित कर सकता है और हिंद-प्रशांत वार्ता को आकार देने के लिये अपनी महत्त्वपूर्ण सॉफ्ट पावर का लाभ उठा सकता है।
- भारत-यूरोपीय संघ BIT संधि को अंतिम रूप देना: भारत और यूरोपीय संघ एक मुक्त व्यापार सौदे पर बातचीत कर रहे हैं जो कि वर्ष 2007 से लंबित है।
  - इसलिये भारत और यूरोपीय संघ के बीच घनिष्ठ समन्वय के लिये दोनों को व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने में संलग्न होना चाहिये।
- महत्त्वपूर्ण नेताओं के साथ सहयोग: वर्ष 2018 की शुरुआत में फ्राँस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन की भारत यात्रा ने रणनीतिक साझेदारी को पुनर्जीवित करने के लिये एक विस्तृत ढाँचे का अनावरण किया।
  - फ्राँस के साथ भारत की साझेदारी अब हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक मज़बूत क्षेत्रीय सहयोग है।
  - इसके अलावा भारत को भारत-ऑस्ट्रेलिया-जापान मंच और फ्राँस तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ त्रिपक्षीय वार्ता एवं अन्य मध्य शक्तियों के साथ बहुपक्षीय समूहों के नेटवर्क के अलावा अमेरिका के साथ अपनी साझेदारी को पूरक बनाना चाहिये।

निष्कर्ष

- जैसा कि कोविड -19 और उसके बाद के समय में रणनीतिक वास्तविकताएँ तेज़ी से विकसित होने की संभावना है, भारत और यूरोपीय संघ के पास अपने सहयोग के मूल सिद्धांतों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिये एक नया अवसर है।
- क्या दो "स्वाभाविक साझेदार" इस अद्वितीय तालमेल का अधिकतम लाभ उठा पाएंगे, यह देखा जाना अभी बाकी है।

नोट :

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

प्राकृतिक गैस : ऊर्जा संक्रमण का एक बेहतर विकल्प

वर्तमान भारत के विभिन्न थिंक टैंक, जलवायु वार्ताकार, कॉरपोरेट और पर्यावरण संबंधी NGOs "शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन" की अवधारणा और इसे प्राप्त करने के उपयुक्त लक्ष्य वर्ष पर विचार कर रहे हैं।

इस लक्ष्य की प्राप्ति के संदर्भ में वैश्विक सर्वसम्मति प्राप्त करने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में भारत को सबसे पहले अपने जीवाश्म ईंधन बास्केट को "हरित ईंधन बास्केट" के रूप में परिवर्तित करना होगा। ऊर्जा उपयोग में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को बढ़ाकर यह कार्य किया जा सकता है।

यद्यपि प्राकृतिक गैस अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक गैस मूल्य श्रृंखला के सभी क्षेत्रों- उत्पादन (घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय) से बाज़ारों (वर्तमान एवं उभरते हुए) तक परिवहन (पाइपलाइन एवं एलएनजी) और वाणिज्यिक (मूल्य निर्धारण, कराधान) तथा विनियामक मुद्दों के संदर्भ में नीतिगत सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

प्राकृतिक गैस: एक बेहतर विकल्प के रूप में

- वैविध्यपूर्ण और प्रचुरता: प्राकृतिक गैस के कई उपयोग हैं और यह सभी जीवाश्म ईंधनों में "सबसे नया" है। इसके अलावा, यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।
- सरल संक्रमण ऊर्जा विकल्प: प्राकृतिक गैस का उपयोग एक व्यवहार्य संभावना है क्योंकि यह कोयला खदानों को बंद करने पर विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न नहीं होने देगी।
  - इसके अलावा, उद्योगों को अपनी प्रणाली के पुन: स्थापन में भारी निवेश करने की आवश्यकता नहीं होगी।
  - इसके अलावा, यह सरकार द्वारा पर्यावरण को प्रदूषित किये बिना सभी को सुरक्षित और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराने के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेगी।
- जीवाश्म ईंधन का अतिरिक्त उपयोग: ऊर्जा बास्केट में जीवाश्म ईंधन की औसत वैश्विक हिस्सेदारी 84% है जो भारत के लिये और भी अधिक है।
  - अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है।
  - कोयले और तेल पर निर्भरता को कम किये जाने की आवश्यकता है तथा इसके लिये कोयले और तेल के स्थान पर प्राकृतिक गैस को अधिक-से-अधिक उपयोग में लाना होगा।

प्राकृतिक गैस क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियाँ

- मूल्य निर्धारण संबंधी विकृतियाँ: प्राकृतिक गैस के मूल्य का निर्धारण कई अलग-अलग सूत्रों पर आधारित होता है।
  - सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और निजी कंपनियों द्वारा घरेलू क्षेत्रों से उत्पादित गैस के मूल्यों में अंतर पाया जाता है।
  - इसी तरह, गहरे पानी के अपतटीय क्षेत्रों तथा उच्च तापमान वाले क्षेत्रों के तहत में किये गए उत्पादन के आधार पर भी मूल्यों में अंतर पाया जाता है।
  - यह प्रतिस्पर्द्धी मूल्य निर्धारण में समस्याएँ पैदा करता है।
- प्रतिगामी कराधान प्रणाली: यह एक व्यापक संरचना है जिसके चलते गैस के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवाहित होने पर कर की दरों में वृद्धि होती है।
  - इसका तात्पर्य यह है कि गैस के स्रोत से दूर स्थित ग्राहक, स्रोत के निकट वाले ग्राहक की तुलना में अधिक कीमत चुकाते हैं। परिणामस्वरूप माँग में कमी होती है।
  - इसके अलावा, गैस क्षेत्र GST के दायरे में भी नहीं आता है।

नोट :

- हितों के टकराव की स्थिति: वर्तमान में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (GAIL) गैस के उत्पादन, परिवहन और विपणन में संलग्न है।
  - इसके परिणामस्वरूप GAIL अपने प्रतिद्वंद्वियों को बाज़ार तक पहुँच से वंचित करने के लिये गैस पाइपलाइनों के संदर्भ में अपने स्वामित्व का लाभ उठा सकता है।
  - अधिकांश देशों ने परिवहन से अपस्ट्रीम (उत्पादन/आयात) और डाउनस्ट्रीम (विपणन) हितों को अलग कर इस संघर्ष की स्थिति का निपटान कर लिया है।
- केंद्र और राज्यों का मुद्दा: भूमि अधिग्रहण, पाइपलाइन मार्ग तथा रॉयल्टी भुगतान जैसे मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के कारण राष्ट्रीय पाइपलाइन ग्रिड का निर्माण प्रभावित हो रहा है।
  - केंद्र तथा राज्यों के बीच व्याप्त मतभेदों के कारण आयात सुविधाओं के निर्माण तथा गैस बाज़ारों के सृजन में भी देरी हुई है।

आगे की राह

- मूल्य निर्धारण के विनियमन में ढील: घरेलू स्तर पर उत्पादित गैस के लिये मूल्य निर्धारण के विनियमन में ढील, गैस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के संदर्भ में बाज़ार सुधारों को सुनिश्चित करने का एक प्रमुख पहलू हो सकती है।
  - यह कदम घरेलू गैस की कीमतों के निर्धारण तथा विपणन में स्वतंत्रता प्रदान करेगा, जिससे घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा तथा निवेशकों के लिये निवेश करना अधिक व्यवहार्य हो जाएगा।
  - इसके अलावा, बाज़ार-आधारित और किफायती मूल्य निर्धारण से औद्योगिक विकास एवंआर्थिक प्रतिस्पर्द्धा को भी बढ़ावा मिलेगा।
- अवसंरचना विकास: इन बाज़ारों को बुनियादी ढाँचे तक खुली पहुँच, सिस्टम ऑपरेटर, विच्छिन्न विपणन और परिवहन कार्य, बाज़ार-अनुकूल परिवहन तक पहुँच तथा टैरिफ़ के अलावा मज़बूत पाइपलाइन अवसंरचना जैसे कारकों से बहुत लाभ हुआ है।
  - साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय हेतु संस्थागत तंत्र स्थापित किया जाना चाहिये।
- मुक्त गैस बाज़ार: प्राकृतिक गैस हेतु मूल्य बेंचमार्क सुनिश्चित करने से यह मूल्य शृंखला में प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देगा और डाउनस्ट्रीम बुनियादी ढाँचे के साथ इसके अन्वेषण एवं उत्पादन में निवेश को प्रोत्साहित करेगा।
  - इसके अलावा इसे GST ढाँचे के अंतर्गत शामिल करना और अति महत्त्वपूर्ण विनियामक ढाँचे का विकास जैसे कारक भी समग्र गैस बाज़ार वृद्धि एवं विकास में प्रमुख भूमिका निभाएँगे।

निष्कर्ष

यदि भारत वृद्धिशील रूप से आगे बढ़ता है तो इसके पास स्वच्छ ऊर्जा प्रणाली के गंतव्य तक पहुँचने का एक बेहतर अवसर है। इसके लिये भारत को अपनी ऊर्जा यात्रा में प्राकृतिक गैस को "अगला पड़ाव" बनाने की आवश्यकता है।

नोट :

सामाजिक न्याय

वन हेल्थ मॉडल

आधुनिक पैथोलॉजी के जनक रुडोल्फ विर्को (Rudolf Virchow) ने वर्ष 1856 में इस बात पर ज़ोर दिया था कि मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा में कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नही है।

इस दृष्टिकोण को वन हेल्थ कहा जाता है। इसके तहत पर्यावरण, पशु तथा मानव स्वास्थ्य के अंतर्संबंधों को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत पर्यावरण, पशु तथा मानव स्वास्थ्य परिस्थितिकी तंत्र से उत्पन्न खतरों को संबोधित करने के लिये बहु आयामी उपाय शामिल किये जाते हैं।

वन हेल्थ के विज़न को प्राप्त करने के मार्ग में कई चुनौतियाँ हैं, जैसे- पशु चिकित्सकों की कमी, मनुष्य एवं पशु चिकित्सा संस्थानों के मध्य सूचनाओं के आदान-प्रदान में कमी, पशुगृह में पशुओं को प्रदान की जाने वाली खाद्य सामग्री में उनके स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही, खाद्य श्रृंखला में शामिल करते समय पशुओं के मांस के वितरण में असावधानी इत्यादि।

वन हेल्थ मॉडल क्या है ?

- वन हेल्थ का सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization-FAO) विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (World Organisation for Animal Health- OIE) की पहल है।
- इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, मिट्टी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र जैसे विभिन्न विषयों के ज्ञान को कई स्तरों पर साझा करने के लिये प्रोत्साहित करना है, जो सभी प्रजातियों के स्वास्थ्य में सुधार, रक्षा और बचाव के लिये ज़रूरी है।
- वर्ष 2007 में वन्यजीव संरक्षण सोसायटी (Wildlife Conservation Society- WCS) ने मैनहट्टन सिद्धांतों की 12 सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए 'एक विश्व-एक स्वास्थ्य' (One World-One Health) के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह महामारियों को रोकने एवं पारिस्थितिकी तंत्र की अक्षुण्णता को बनाए रखने के आदर्श दृष्टिकोण पर आधारित है।

विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन

- OIE एक अंतर-सरकारी संगठन है जो विश्व में पशु स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने हेतु उत्तरदायी है।
- इसे विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization) द्वारा एक संदर्भ संगठन (Reference Organisation) के रूप में मान्यता दी गई है।
- वर्ष 2018 तक इस संगठन में कुल 182 सदस्य देश शामिल थे। भारत इसका सदस्य है।
- इस संगठन का मुख्यालय पेरिस (फ्राँस) में स्थित है।

वन हेल्थ मॉडल की आवश्यकता

- वैज्ञानिकों के अनुसार, वन्यजीवों में लगभग 1.7 मिलियन से अधिक वायरस पाए जाते हैं, जिनमें से अधिकतर के ज़ूनोटिक होने की संभावना है।
- इसका तात्पर्य है कि समय रहते अगर इन वायरस का पता नहीं चलता है तो भारत को आने वाले समय में कई महामारियों का सामना करना पड़ सकता है।
- रोगों की एक अन्य श्रेणी "एंथ्रोपोज़ूनोटिक" है, जिसमें मनुष्यों से जानवरों में संक्रमण फैलता है।
- हाल के वर्षों में वायरल के प्रकोपों जैसे कि निपाह वायरस, इबोला, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (Severe Acute Respiratory Syndrome- SARS), मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (Middle East Respiratory Syndrome-MERS) और एवियन इन्फ्लुएंजा का संक्रमण यह अध्ययन करने पर मज़बूर करता है कि हम पर्यावरण, पशु एवं मानव स्वास्थ्य के अंतर्संबंधों की जाँच करें और समझें।

नोट :

भारत का वन हेल्थ फ्रेमवर्क

- दीर्घकालिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए भारत ने 1980 के दशक के रूप में जूनोज़िस (Zoonoses) पर एक राष्ट्रीय स्थायी समिति की स्थापना की।
- इसके अलावा, पशुपालन और डेयरी विभाग (Department of Animal Husbandry and Dairying- DAHD) ने पशु रोगों के प्रसार को कम करने के लिये कई योजनाएँ शुरू की हैं। इसके अलावा DAHD ज़ल्द ही अपने मंत्रालय के भीतर एक एक स्वास्थ्य इकाई स्थापित करेगा।
- इसके अतिरिक्त, सरकार ऐसे कार्यक्रमों को पुनर्जीवित करने के लिये काम कर रही है जो पशु चिकित्सकों के लिये क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हैं एवं पशु स्वास्थ्य निदान प्रणाली जैसे कि, राज्यों को पशु रोग नियंत्रण हेतु सहायता प्रदान करना (Assistance to States for Control of Animal Diseases- ASCAD) हेतु उपयोगी है। हाल ही में नागपुर में 'वन हेल्थ केंद्र' स्थापित करने के लिये धनराशि स्वीकृत की गई थी।

आगे की राह

- रोगों की निगरानी को समेकित करना: मौजूदा पशु स्वास्थ्य और रोग निगरानी प्रणाली, जैसे-पशु उत्पादकता और स्वास्थ्य के लिये सूचना नेटवर्क एवं राष्ट्रीय पशु रोग रिपोर्टिंग प्रणाली को समेकित करने की आवश्यकता है।
- विकासशील दिशा-निर्देश: अनौपचारिक बाज़ार और स्लॉटरहाउस ऑपरेशन (जैसे, निरीक्षण, रोग प्रसार आकलन) के लिये सर्वोत्तम दिशा-निर्देशों का विकास करना और ग्रामीण स्तर पर प्रत्येक चरण में वन हेल्थ के संचालन के लिये तंत्र बनाना।
- समग्र सहयोग: वन हेल्थ के अलग अलग आयामों को संबोधित करना, इसे लेकर मंत्रालयों से लेकर स्थानीय स्तर पर भूमिका को रेखांकित कर आपस में सहयोग करना, इससे जुड़ी सूचनाओं को प्रत्येक स्तर पर साझा करना इत्यादि पहल की आवश्यकता है।
- वन हेल्थ के लिये राजनीतिक, वित्तीय और प्रशासनिक जवाबदेही के संदर्भ में नवाचार, अनुकूलन और लचीलेपन को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- संस्थागत तंत्र की स्थापना: भारत में पहले से ही कई प्रयास चल रहे हैं, जो कि ज़ूनोटिक रोगों में अनुसंधान के डेटाबेस के लिये प्रोटोकॉल विकसित करने से जुड़े हैं। हालाँकि, कोई एकल एजेंसी या ढाँचा नहीं है जो वन हेल्थ एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिये अंब्रेला कार्यक्रम की तरह कार्य कर सके। अत: वन हेल्थ अवधारणा को लागू करने के लिये एक उचित संस्थागत तंत्र स्थापित किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

भारत कोविड-19 जैसी पशुओं से फैलने वाली खतरनाक महामारी की दूसरी लहर से लड़ रहा है। इसे देखते हुए भारत को वन हेल्थ सिद्धांत के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिये तथा इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास हेतु निवेश करना चाहिये।

Covid-19 और व्यवहार विज्ञान

वर्तमान में यह सामान्य सी बात है कि लोगों की बड़ी सभाएँ खतरनाक कोरोनावायरस के अधिक-प्रसारकर्त्ता के रूप में कार्य कर सकती हैं। इसके बावजूद धार्मिक और राजनीतिक कारकों के कारण हाल के दिनों में कई सामूहिक आयोजन हुए हैं।

उदाहरण के लिये, गुजरात के साणंद के नवापुरा गाँव में जलाभिषेक करने हेतु कलश यात्रा के लिये महिलाओं के फुटेज प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा पुलिस संरक्षण में हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन किया गया, जहाँ लाखों लोग गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाते हैं।

इस संदर्भ में कोविड -19 संकट से निपटने के लिये बड़े पैमाने पर व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता है जो व्यक्तियों पर महत्त्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाल सकते हैं।

इसलिये, स्वास्थ्य प्रणाली को उन्नत करने के अलावा समय आ गया है जब हमें अपने सामाजिक व्यवहार में आवश्यक सुधारों के बारे में सोचने की आवश्यकता है।

महामारी के व्यवहारपरक आयाम:

- खतरा: इस महामारी के दौरान मुख्य भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में से एक है 'भय'। मनुष्य, अन्य जानवरों की तरह पारिस्थितिक खतरों का मुकाबला करने के लिये रक्षात्मक प्रणालियों से युक्त है।

नोट :

- खतरे से उत्पन्न नकारात्मक भावनाएँ संक्रामक हो सकती हैं और भय को अधिक बढ़ा सकती हैं।

- आशावादी पूर्वाग्रह (Optimism Bias): जनता में एक आम धारणा है कि बुरी चीजें द्वारा दूसरों की तुलना में स्वयं को प्रभावित करने की संभावना कम है।
  - हालाँकि आशावादी पूर्वाग्रह नकारात्मक भावनाओं से बचने के लिये उपयोगी हो सकता है, यह लोगों को किसी रोग के संक्रमण की संभावना के प्रति उदासीनता को बढ़ा सकता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य चेतावनियों को नजरअंदाज़ करने के लिये प्रेरित कर सकता है।
- पूर्वाग्रह और भेदभाव: भय और खतरे के अनुभव न केवल लोगों को अपने बारे में सोचने के लिये मज़बूर करते है, बल्कि वे दूसरों के बारे में (विशेष रूप से, बाहर के समूहों में) कैसा महसूस करते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं, इस संबंध में भी उत्तरदायी बनाते हैं।
  - उदाहरण के लिये, किसी रोग से संक्रमित होने का खतरा प्राय: जातीयता के उच्च स्तर और बाहरी समूहों के प्रति अधिक असहिष्णुता से जुड़ा होता है।
  - यह उन लोगों के साथ सहानुभूति को कम कर सकता है जो सामाजिक रूप से दूर हैं और अमानवीयकरण को बढ़ाते हैं।
- आपदा और 'आतंक': लोकप्रिय संस्कृति में एक आम धारणा है कि, जब संकट आता है, विशेषकर जनसमुदाय में, तो लोग घबराते हैं।
  - इसलिये ही वे अंधवत् रूप से और आत्म-संरक्षण से बाहर होकर कार्य करते हैं और संभवत: सभी के अस्तित्व को खतरे में डालते हैं।
  - इस विचार का उपयोग वर्तमान कोविड-19 के प्रकोप की प्रतिक्रियाओं को समझाने के लिये किया गया है, जो आमतौर पर संकट उत्पन्न (Panic Buying) करने की धारणा से संबंधित होता है।
- सामजिक मानक: लोगों का व्यवहार सामाजिक मानदंडों से प्रभावित होता है।
- सामाजिक असमानता: संसाधनों तक पहुँच में असमानता न केवल उन लोगों को प्रभावित करती है जिन्हें संक्रमण का ज्यादा खतरा है या जिनमें इसके लक्षण विकसित हो रहे हैं या इसका शिकार हो सकते हैं, बल्कि यह उन लोगों को भी प्रभावित कर सकती है जो संक्रमण के प्रसार को धीमा करने के लिये दिशा-निर्देशों को अपनाने में सक्षम हैं।
- फेक न्यूज़ और गलत सूचना: कोविड-19 के संबंध में फेक न्यूज़ और गलत सूचना संभावित खतरनाक परिणामों के साथ, सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से फैल रही है।

आगे की राह:

महामारी के दौरान वायरल संचरण धीमा करने के लिये व्यवहार में महत्त्वपूर्ण बदलाव की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में:

- सार्वजनिक संदेश (Public Messages): इस तरह की गलत धारणाओं को सुधारकर व्यवहार में बदलाव को सार्वजनिक संदेशों द्वारा सकारात्मक (उदाहरण के लिये, स्वास्थ्य-संवर्द्धन) मानदंडों को प्राप्त किया जा सकता है।
  - इसके अलावा, संचार रणनीतियों को चिंता और भय जैसी भावनाओं को प्रेरित किये बिना आशावादी पूर्वाग्रह के माध्यम से तोड़ने के बीच एक संतुलन बनाना चाहिये।
- नज थ्योरी (Nudge Theory): इस सिद्धांत के अनुसार, व्यक्ति को अपने व्यवहार में ज़रूरी सकारात्मक परिवर्तन करने के लिये प्रेरित किया जाता है। साथ ही व्यक्ति के चुनने के अधिकार को भी सुरक्षित रखा जाता है।
  - उदाहरण के लिये, सामाजिक मानदंडों को मज़बूरन लागू करने वाला एक संदेश जैसे- 'आपके समुदाय के अधिकांश लोगों का मानना है कि हर किसी को घर पर रहना चाहिये।'
- फेक न्यूज़ से निपटना (Fighting Fake News): गलत सूचना से निपटने के लिये एक निवारक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जिसमें सूक्ष्म संकेत शामिल होते हैं जो लोगों को सटीकता पर विचार करने के लिये प्रेरित करते हैं।
  - उदाहरण के लिये, समय-समय पर उपयोगकर्ताओं को यादृच्छिक रूप से चयनित पदों की सटीकता का आकलन करने के लिये प्रोत्साहित करना।
  - इस प्रक्रिया से प्राप्त आँकड़े गलत सूचना की पहचान के लिये उपयोगी हो सकते हैं।
- अनुनय (Persuasion): कई संदेशात्मक दृष्टिकोण प्रभावी हो सकते हैं, जिसमें प्राप्तकर्त्ता को लाभ पर ज़ोर देना, दूसरों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। उदाहरण के लिये अपने माता-पिता और दादा-दादी की सुरक्षा के लिये अपने हाथ धोएं।

नोट :

- इसके अलावा, प्राप्तकर्ता के नैतिक मूल्यों के साथ संचार करने, सामाजिक सहमति या वैज्ञानिक मानदंडों की अपील करने में मदद मिल सकती है।

- नेतृत्त्व (Leadership): कोविड-19 जैसी महामारी विभिन्न स्तरों (परिवार, कार्यस्थल, स्थानीय समुदाय और राष्ट्र) के समूहों में नेतृत्त्व के लिये एक अवसर पैदा करती हैं।
  - नेतृत्व, लोगों को समन्वित कर सकता है और ऐसे व्यवहारों से बचने में मदद कर सकता है जिन्हें अब सामाजिक तौर पर उत्तरदायी नहीं माना जाता है।

निष्कर्ष

विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक हालिया रिपोर्ट ने घोषणा की कि स्वास्थ्य संचार की स्वास्थ्य और कल्याण के लगभग हर पहलू के लिये प्रासंगिकता दिखाई देती है, जिसमें रोग की रोकथाम, स्वास्थ्य संवर्द्धन और जीवन की गुणवत्ता शामिल है।

COVID-19 के संभावित विनाशकारी प्रभावों को कम करने के लिये तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, जो क्रिया व्यवहार और सामाजिक विज्ञान द्वारा समर्थित हो सकती है।

दृष्टि The Vision

नोट :